न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्र०न० — 238/2025

उनवान : —

1. बुटासिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति जाट सिख निवासी तलवाडा झील हाल बुढानिया थेड़ करीवाला त० रानिया जिला सिरसा। ।

वादी

बनाम

1. जीतो पुत्री किसन सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति जट सिख निवासी तलवाडा झील हाल बुडानिया थेड करीवाला त० रानिया जिला सिरसा।
2. बिंद कौर पुत्री कश्मीर सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी अमृतसर खुर्द त० ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता वादी
श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण
31/7/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी की माता जीतो के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक न0 5 टी.एल.डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 161 / 141 में कुल 2.530 हैक्टेयर में 1 / 25 हिस्सा, व इसी चक के खाता स० 270/255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर में 1 / 5 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एंव प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 एक परिवार के सदस्य है। वादी, प्रतिवादिया स० 1 का पुत्र व प्रतिवादिया स० 2 का भाई है । वाद पत्र की चरण सं0 3 में अंकित कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है । वादी द्वारा अपने हक व हिस्सा की मांग करने पर वादी एंव प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 के मध्य हुये घरू बंटवारा में प्रतिवादिया स० 1 के नाम चक न0 5 टी.एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 161 / 141 में कुल 2.530 हैक्टेयर में 1/25 हिस्सा, व इसी चक के खाता स० 270/255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर में 1/5 हिस्सा भूमि वादी को प्राप्त हुई है जिस पर वादी बंटवारा के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादिया स० 2 द्वारा अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारा के समय ही कर दिया था । वाद पत्र की चरण स० 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया स० 1 के नाम से रहने से वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ रहा है। वादी को बैंक से फसलाना ऋण प्राप्त करने, रकमराज जमाकरवाने व पानी की पर्ची बनवाने व अन्य भूमि सम्बंधित कार्य करवाने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्ति का अधिकारी है कि प्रतिवादिया स० 1 के नाम अंकित चक न0 5 टी.एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 161 / 141 में कुल 2.530 हैक्टेयर में 1 / 25 हिस्सा, व इसी चक के खाता स० 270 / 255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर में 1 / 5 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है । वादी ने आज से दो दिवस पूर्व प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 से चक 5 टी. एल.डब्ल्यू. में मिलकर वाद पत्र की चरण स० 4 में अंकितानुसार कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादिया स० 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में जीतो अंकित है जबकि प्रतिवादिया स० 1 के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड इत्यादि में नाम सुरजीत कौर अंकित है। उक्त दोनो नाम की प्रतिवादिया स० 1 एक ही औरत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:— (क) कि घोषणा इस आशय कि जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादिया स० 1 के नाम अंकित चक न0 5 टी. एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 161/141 में अंकित कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में 1 / 25 हिस्सा का, व इसी चक के खाता स० 270 / 255 में अंकित 1.012

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए प्रतिवादिया सं० 1 का नाम कलमजन करते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ।

वाद पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवामी वाद एक वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा के अनुतोष बाबत प्रस्तुत किया गया था। हम पक्षकारान का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा हो चुका है और मुताबिक राजीनामा प्रतिवादिया सं० 1 के नाम अंकित चक न0 5 टी. एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं० 161 / 141 में अंकित कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि में 1 / 25 हिस्सा भूमि, व इसी चक के खाता सं० 270 / 255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि वादी को एक बंटवारा में प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादिया सं० 1 द्वारा अपने हक व हिस्सा का त्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारा के समय ही कर दिया था। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए प्रतिवादिया सं० 1 का नाम कलमजन करते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा । हम सभी पक्षकारान सहमत है । अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद राजीनामा के आधार व अनुसार डिक्री हम पक्षकारान के पक्ष में बनाई जावे ।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी चक न0 5 टी. एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं० 161 / 141 प्रदर्श 1, इसी चक के खाता सं० 270 / 255 प्रदर्श 2 व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, तस्दीक करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत जमाबंदी से वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। एवं प्रतिवादीया सं0 1 ने सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। पत्रावली का अवलोकन कर मुताबिक दस्तावेज एवं राजीनामा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक न0 5 टी.एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता सं० 161/141 में कुल 2.530 हैक्टेयर में 1/25 हिस्सा, व इसी चक के खाता सं० 270/255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर में 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में से प्रतिवादीया सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरस्त करें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/3/25 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 238/2025

उनवान : –

1 बुटासिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति जाट सिख निवासी तलवाड़ा झील हाल बुड़ानिया थेड़ करीवाला त0 रानिया जिला सिरसा। ।

वादी

बनाम्

1 जीतो पुत्री किसन सिंह पत्नी कश्मीर सिंह जाति जट सिख निवासी तलवाड़ा झील हाल बुड़ानिया थेंड़ करीवाला त0 रानिया जिला सिरसा।

2 बिंद्र कौर पुत्री कश्मीर सिंह पत्नी कुलदीप सिंह जाति जट सिख निवासी अमृतसर खुर्द त0 ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दनलाल व अधिवक्ता विकास शर्मा प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक न0 5 टी.एल.डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान संयुक्त खाता स० 161/141 में कुल 2.530 हैक्टेयर में 1/25 हिस्सा, व इसी चक के खाता स० 270/255 में अंकित 1.012 हैक्टेयर में 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में से प्रतिवादीया सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, रहन आदि न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त करें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 31/7/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner